संख्या- 11 /2026 / 3753 /चार-2025-2007351

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 12 जनवरी, 2026**

विषय:- दिनांक 12 सितम्बर, 2025 को मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री जी के अयोध्या आगमन के अवसर पर उनके स्वागत/ सम्मान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर हुए वास्तविक व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3719/सं0नि0-15(71)/2025-26, दिनांक 26 दिसम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रभारी अधिकारी (प्रोटोकॉल), कार्यालय जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र संख्या- 1654/रीडर(सी0एम0)/2025 दिनांक 09 सितम्बर, 2025 के क्रम में दिनांक 12 सितम्बर, 2025 को मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री जी के अयोध्या आगमन के अवसर पर उनके स्वागत सम्मान में कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अन्य व्यवस्थाओं पर निम्नानुसार हुए व्यय के संबंध में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	कलाकार/ फर्म का नाम	बीजक संख्या व दिनांक	विधा	मानदेय	कुल धनराशि
1	सुश्री सुमन गुप्ता, अयोध्या	12.09.2025	बधावा नृत्य	40,000.00	40,000.00
2	श्री रजनीश विश्वकर्मा, अयोध्या	11.09.2025	अवधी लोकनृत्य	40,000.00	40,000.00
3	सुश्री आराधना गौतम, अयोध्या	12.09.2025	बधावा लोकनृत्य	40,000.00	40,000.00
4	सुश्री रजनी, अयोध्या	12.09.2025	कथक नृत्य	40,000.00	40,000.00
5	मे0 एम0 आर0 ट्रैवेल्स, लखनऊ	194/29.09.2025			9,201.00
6		193/29.09.2025			24,700.00
7	मे0 तिरूपति होटल, अयोध्या	13.09.2025			13,888.00
8	मे0 श्री खाटू श्याम जी फैमिली रेस्टोरेंट, अयोध्या	12.09.2025			54,473.00
9	मे0 एस3 इंफो मीडिया प्रा0 लि0 लखनऊ	59/13.10.2025			5,50,682.00
			योग (रू0 आठ लाख बारह हजार नौ सौ चौवालीस मात्र)		8,12,944.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 12 सितम्बर, 2025 को मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री जी के अयोध्या आगमन के अवसर पर उनके स्वागत सम्मान में कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अन्य व्यवस्थाओं पर हुए व्यय **रू0 8,12,944.00 (रूपये आठ लाख बारह हजार नौ सौ चौवालीस मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) सम्बन्धित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान/ कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या - 11 /2026 / 3753 (1)/चार-2025-2007351 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, अयोध्या।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in